भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
महावीर नगर प्रथम, झालावाड़ रोड
कोटा – 324005 राजस्थान

F.No.I(22)-1/Adm/2020-

Dated:- .03.2021

निविदा

राजस्थान इकाई में फसल वर्ष 2020–21 के अफीम तौल कार्य के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर टेन्ट, शामियाना, कनात एवं बिजली के सामान आदि किरायें पर सप्लाई करने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। तौल कार्य माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से चलने की संभावना है एवं चित्तौडगढ सेन्ट्रल गोदाम के लिये टेन्ट शमियाना एवं बिजली से संबंधित आवश्यक सामग्री चित्तौडगढ प्रथम खण्ड के निविदा वाली फर्म के द्वारा उसी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान चित्तौडगढ प्रथम खण्ड के द्वारा किया जायेगा।

क.सं.	आईटम का नाम	डिवीजनों का नाम एवं तौल केन्द्रों का स्थान				
		भीलवाड़ा डिवी.	प्रतापगढ प्रथम	प्रतापगढ द्वित्तीय	चित्तौड़ प्रथम	चित्तौड़ द्वित्तीय
		सिंगोली श्याम	प्रतापगढ	छोटी सादडी	चित्तौड़	चित्तौड़
1	डोम पांडाल वाटर प्रूफ ((60x75)	0	0	0	0	4500 sq.ft
2	टेन्ट (15x15)	60	50	50	120	70 डबल शामियाना
3	कनात (15x6)	30	50	50	60	30
4	दरी (10x8)	140	20	20	80	0
5	कुर्सी (Moulded)	50	80	80	80	120
6	टेबल	45	50	50	50	55
7	टेबल कवर	45	50	50	50	55
8	त्रिपाल (15x15)	10	0	0	30	0
9	पर्दे (15x10)	30	50	50	50	50
10	पानी के ड्रम	05	0	2	10	10
11	कूलर	40 नये	15नये	15 नये	30	20
12	कूलर हनी पेड/जम्बो बडा वाला	0	5	5	0	4
13	पेडस्टल फेन	30	20	20	25	15 व 25 सिलिंग फेंन
14	पलंग प्लाईवुड	35	5	20	25	10
15	जरनेटर 10 केवी/60 कवी	2	2	2	2	2
16	हेलोजन लाईट	25	10	10	20	50
17	टयूब लाईट	40	40	40	70	0
18	सी.एफ.एल./24वाट या बल्ब 200 वाट	30	20	25	30	30
19	बल्ब100/150वाट या मेटल लाईट	15	4	6	30	0
20	तख्ता लकडी	4	2	2	10	10
21	बिस्तर सेट	60	50	40	15	15
22	स्टेबलाईजर	2	2	2	2	2
23	माईक सेट	1	1	1	1	1
24	प्लास्टिक कोटेड कारपेट (मेटिंग)	4000 sq.ft	12000 sq.ft	12000 sq.ft	12000 sq.ft	13000 sq.ft
25	बेरियर (बंरीकेटीना)	आवश्यकता अनुसार	2000 रनिंग फिट	2000 रनिंग फिट	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनूसार
26	स्वीच बोर्ड/पावर बोर्ड	0	30	30	10	20
27	कोविड प्लास्टिक शीट (06 x4)	0	0	0	0	0

नियम एवं शर्तें

1. उपरोक्त सामान की आपूर्ति संबंधित जिला अफीम अधिकारी के विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर करनी होगी। समस्त सामान को तौल प्रारम्भ होने वाले केन्द्र पर पहुँचाने तथा तौल समाप्ति वाले केन्द्र से वापस उठाने की जिम्मेदारी स्वंय पार्टी की होगी।
2. तौल केन्द्र अनुसार निविदा देनी होगी। निविदा में प्रतिदिन किराये में सम्मिलित जी.एस.टी. व अन्य टैक्स अलग –2 दर्शाएं।
3. निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रूपये **10000/– (दस हजार मात्र)** नकद या ड्राफ्ट जो अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।
4. प्रत्येक तौल केन्द्र पर जनरेटर चलाने व अन्य सामान के रख रखाव के लिए फर्म का एक व्यक्ति हमेशा केन्द्र पर रहेगा जिसका कोई व्यय विभाग द्वारा नही दिया जायेगा।
5. सभी सामान प्रत्येक डिविजन की आवश्यकतानुसार सही हालत में सप्लाई करना होगा। सामान की टूट फूट व खोने की जिम्मेदारी फर्म की अपनी होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार/क्लेम मान्य नही होगा।
6. निविदादाता अपनी मोहरबन्द निविदा जिस पर **निर्दिष्ट डिविजन व तौल केन्द्र का नाम** व मद अंकित हो, इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में एवं संबंधित जि.अ.अ. कार्यालय मे 10.00 बजे से 18.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
7. फर्म द्वारा सप्लाई किया गया सामान व उसकी देखभाल संतोषजनक नही होने पर फर्म का भुगतान रोका जा सकता है, अथवा कटौती की जा सकती है। यदि कोई सामान पुराना व खराब पाया जाता है तो जि.अ.अ. अन्य फर्मों से सामान मंगवा सकते हैं, जिसका भुगतान निविदादाता के भुगतान से काटा जायेगा।
8. निविदादाता दर देते समय कृपया ध्यान रखें कि इस सामानों के साथ उपयोग में आने वाले आवश्यक सामान यथा बॉक्स, रस्सी अथवा बिजली के तार, प्लग बोर्ड, एम.सी.बी., पेनल बोर्ड आदि शामिल है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज विभाग द्वारा देय नही है।
9. **शामियाना एवं अन्य सामानों की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए**। यदि शामियाना, दरियॉ, कारपेट तथा अन्य सामानों की क्वालिटी खराब अथवा निम्न स्तर की पाई गई तो बिल की राशी में कटौती की जाएगी।
10. अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक या सभी निविदा को निरस्त कर सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नही किया जाएगा। सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
11. इस संदर्भ में कोई भी कानुनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
12. जी. एस. टी. रजिस्टर्ड फर्म अपना जी.एस.टी नम्बर दें । पिछले वर्ष की आयकर रिटर्न तथा पेन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
13. निविदादाता अपनी निविदा कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा या स्थानीय रूप से कार्यरत जिला अफीम अधिकारी कार्यालय मे दिनांक 17.03.2021 तक प्रस्तुत कर सकेंगे तत्पश्चात प्राप्त निविदा को दिनांक 22.03.2021 को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा में इस आशय हेतु बनाई गई कमैटी के समक्ष खोला जायेगा।

(विकास जोशी)
उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर जारी करने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़–I/II/ भीलवाड़ा /प्रतापगढ I/II. को इस आशय से प्रेषित है कि अपने कार्यालय मे प्राप्त निविदाओं को दिनांक 18.03.2021 तक इस कार्यालय मे अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रस्तुत करें।

अधीक्षक (कार्यपालक)
कोटा राजस्थान